पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2070
दिनांक- 26.08.2025

पूर्वी जोन / थाना गोमतीनगर विस्तार

- **थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **सफेद व पीली धातु के आभूषण व**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी व 01 अदद मो0सा0 बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2025 को वादी मुकदमा की लिखित तहरीर बावत वादी मुकदमा के घर में अज्ञात अभियुक्तगणो द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/2025 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 अभय कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

माल व मुल्जिमान की तलाश व पतारसी के क्रम में दिनांक 25.08.2025 को जरिये मुखबिर सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण चोरी किये गये माल को खरगापुर अण्डर पास हिमालयन तिराहे के पास आपस में बाट रहे है प्राप्त सूचना के क्रम में थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल की बरामदगी व अभियुक्तगण 1. आनंद मौर्या पुत्र प्रताप नारायण उम्र करीब 24 वर्ष 2. बबलू कुमार पुत्र जगदीश सिंह उम्र करीब 32 वर्ष की गिरफ्तारी की गयी।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा खरगापुर की चोरी के अतिरिक्त विवेकखण्ड गोमतीनगर लखनऊ में भी चोरी करना बताया गया जिसके क्रम में थाना गोमतीनगर से जानकारी की गयी तो पाया गया कि थाना गोमतीनगर लखनऊ में भी रात्रि में ताला तोडकर चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 385/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत है। जिससे सम्बन्धित माल भी बरामद हुआ है। अभियुक्तगणो के पास से पीली धातु व सफेद घातु के भारी मात्रा में आभूषण व घटना में प्रयुक्त की गयी एक अदद स्कूटी संख्या UP32QF2387 व एक अदद अपाचे मोटर साइकिल संख्या UP32PC6089 भी बरामद कि गयी।

बरामदशुदा माल को कब्जा पुलिस में लेकर व वाहनो को अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कर कब्जा पुलिस लिया गया। **फर्द बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 151/2025 थाना गोमतीनगर विस्तार में धारा 331(4) / 317(2) बीएनएस की बढौतरी की गयी।**

थाना गोमतीनगर लखनऊ को इस सम्बन्ध में सूचित किया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. आनंद मौर्या उपरोक्त 2. बबलू कुमार उपरोक्त को जुर्म धारा 305/317(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए दिनांक 25.08.2025 को हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों - निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। बाद गिरफ्तारी विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण :-

1. मु0अ0सं0 151/2025 धारा 305/317(2)/ 331(4) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 385/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।

03- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आनंद मौर्या पुत्र प्रताप नारायण निवासी वशिष्ट विहार कालोने पहली गली बाये हाथ थाना गोमतीनगर नगर विस्तार लखनऊ मूल पता ग्राम गोवा थाना महमूदपुर जिला बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष
2. बबलू कुमार पुत्र जगदीश सिंह निवासी मायावती कालोनी प्लाट नं 45 ओम नगर तकरोही थाना इंदिरा नगर लखनऊ मूल पता महमूद पुर नहरिया कोतवाली सदर जनपद ऐटा उम्र करीब 32 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त बबलू कुमार --

1. मु0अ0सं0 273/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना बी0बी0डी0 जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 151/2025 धारा 305/317(2)/ 331(4) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 385/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 411/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना इंदिरानगर जनपद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 633/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 823/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 563/2021 धारा 380/411 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ।
8. मु0अ0सं0 0008/2022 धारा 380/411/413 भादवि थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ।
9. मु0अ0सं0 009/2022 धारा 7/25(1-ए) आयुध अधिनियम थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ।

05-माल बरामदगी का विवरण मुकदमेवार -

- **मु0अ0सं0 151/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ** से सम्बन्धित एक अदद पीली धातु की चेन व दो अदद पीली धातु की अगुँठी व दो अदद पीली धातु के झुमके व दो अदद पीली धातु की कान की बाली व दो अदद सफेद धातु की मिना लगी हुई पायल।
- **मु0अ0सं0 385/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ** से सम्बन्धित छः अदद सफेद धातु की पायल व दो अदद सफेद धातु के बच्चो के कंगन व दो अदद पीली धातु के झुमके व तीन अदद पीली धातु की अगुँठी जिसमे एक नगनुमा है व दो अदद पीली धातु के कंगन व दो अदद पीली धातु की चेन व एक अदद पीली धातु का नग जडा मंगलसूत्र
- **घटना में प्रयुक्त की गयी** एक अदद स्कूटी संख्या UP32QF2387 व एक अदद अपाचे मोटर साइकिल संख्या UP32PC6089

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री अभय कुमार सिंह चौकी प्रभारी खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ ।
2. उ0नि0 श्री लवलेश कुमार सिंह थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री आयुष कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ ।
4. हे0का0 रामू यादव थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।
5. का0 सुनील कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ।
6. का0 रवीन्द्र कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2069

दिनांक- 26.08.2025

मध्य जोन / थाना हसनगंज

- **थाना हसनगंज पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण: –

दिनाँक 14.12.2024 को थाना स्थानीय पर वादी श्री प्रसिद्ध नारायण सिंह पशु पालन विभाग डायरेक्टर थाना हसनगंज लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि कुछ अज्ञात लोगो द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी को बंधक बनाकर दो मोबाइल, ब्रेसलेट तथा कमरे का ताला खोलकर दो ब्रीफकेस, एक ट्रालीबैग (ट्रालीबैग के अन्दर करीब दो लाख रूपये व जेवरात) जबरदस्ती लेकर चले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 159/2024 धारा 309(4)/331(4) बीएनएस विरूद्ध कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था ।

आज दिनांक 26.08.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना हसनगंज पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त मारुफ पुत्र स्व0 लल्ला निवासी-36/3 नई काशीराम कालोनी लौलाई थाना चिनहट लखनऊ मूल पता गनेशपुर थाना रुपईडिहा जनपद बहराइच उम्र लगभग 27 वर्ष को ढलान नं.- 01 झूलेलाल पार्क थाना हसनगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये। मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 331(4)/309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस की गयी तथा **उक्त मुकदमें में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1. असफाक हुसैन 2. तारिक महमूद 3. मो0 शीश उर्फ रिजवान 4. पवन जैसवार 5. उज्जवल सिंह को 06. रोहित यादव उर्फ नेपाली 7- गुलफाम को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, तथा 08. समी अहमद उर्फ राजा व 09.अभिषेक सिंह द्वारा दिनांक 27.02.2025 को मा0न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा चुका है।**

02-अभियुक्त मारुफ पुत्र स्व0 लल्ला के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

01-मु0अ0सं0 666/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मडियाँव लखनऊ

02-मु0अ0सं0 159/2024 धारा 331(4)/309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना हसनगंज लखनऊ(अनावरित अभियोग)

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मारुफ पुत्र स्व0 लल्ला निवासी-36/3 नई काशीराम कालोनी लौलाई थाना चिनहट लखनऊ मूलपता गनेशपुर थाना रुपईडिहा जनपद बहराइच उम्र लगभग 27 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ
2. उ0नि0 शिशिर कुमार सिंह थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ
3. उ0नि0 श्री प्रवीण कमार सिंह थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2072
दिनांक-26.08.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-नाका

- **स्कूटी चोरी करने वाले 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद स्कूटी बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर वादी अश्वनी कुमार पान्डेय पुत्र स्व0 श्री रामलखन पान्डेय मकान नं0 6 लाजवन्ती भवन मोतीनगर , लखनऊ द्वारा दिनांक 26.08 2025 को अपनी स्कूटी UP 32 HW 3444 चोरी हो जाने के सम्बन्ध मे लिखित सूचना दी गयी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 159/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस पंजीकृत कराया गया था।

थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी गये एक्टीवा स्कूटी UP 32 HW 3444 को बरामद करते हुये अभियुक्त परेश कुमार पुत्र सुरेश भाई सोनी नि0 ए 401 रेवा दर्शन शुक्लतीर्थ थाना शुक्लतीर्थ जनपद भरूच राज्य गुजरात उम्र 35 वर्ष को आज दिनांक 26.08.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर नाका चौराहा से गिरफ्तार करते हुये मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)बीएनएस की बढोत्तरी करते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-परेश कुमार पुत्र सुरेश भाई सोनी नि0 ए 401 रेवा दर्शन शुक्लतीर्थ थाना शुक्लतीर्थ जनपद भरूच राज्य गुजरात उम्र 35 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग:-

01- मु0अ0सं0 159/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

05-बरामदगी:-

- एक्टीवा स्कूटी UP 32 HW 3444 -01 अदद।

06-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीकान्त राय थाना नाका हिण्डोला
2. उ0नि0 अंजनी तिवारी नाका हिण्डोला
3. का0 अंकित कुमार थाना नाका हिण्डोला

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2073

दिनांक 26.08.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **जनता के सहयोग से केबल चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 100 मीटर केबल तार व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.08.2025 को श्री राकेश कुमार सिंह (PMC में प्रबन्धक प्रशासन) पुत्र श्री हरिबक्स सिंह निवासी cc/443 वृन्दावन तेलीबाग लखनऊ अपने सहयोगी शुभजीत साहू पुत्र जयकुमार साहू निवासी बेनीपुर पोस्ट बेनीपुर थाना कटक जनपद कटक राज्य उड़ीसा के साथ दिनांक 26/08/2025 के सुबह लगभग 10 बजे रूटीन दौरा कर रहे थे तो देखा KMCh 1.300 दो लोग स्ट्रीट लाइट का तार काट रहे है तत्पश्चात गाड़ी रोक वादी व उनके सहयोगी शुभजीत साहू ने अभियुक्त 01-ओम प्रकाश उर्फ ओमकार s/o राम प्रसाद निवासी देवरिया कला लोलई थाना चिनहट लखनऊ उम्र 34 वर्ष 02-विशाल कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी बड़ी देवरिया लोलई थाना चिनहट लखनऊ उम्र 25 वर्ष को पकड़ कर थाना उपस्थित लाये है तत्पश्चात प्रार्थी/वादी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 767/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्तगण उपरोक्त को अपराध से अवगत कराते हुये थाना स्थानीय पर हिरासत पुलिस मे लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल नं0 UP32GD 6833 को थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1.ओम प्रकाश उर्फ ओमकार पुत्र राम प्रसाद निवासी देवरिया कला लोलई थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष (कारपेंटर)

2.विशाल कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी बड़ी देवरिया लोलई थाना चिनहट लखनऊ उम्र 25 वर्ष (मजदूरी)

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 767/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

04-बरामदगी-

- केबल तार 100 मी (चोरी की)।
- 01 अदद मोटरसाईकिल (घटना में प्रयुक्त) बरामद।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम,जोन दक्षिणी कमिश्नरेट, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2073

दिनांक 26.08.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण –

उ0नि0 हिमांचल सिंह मय पुलिस टीम के देखभाल क्षेत्र ,चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, पेण्डिंग विवेचना , जाँच अहकामात में चौकी क्षेत्र सेवईं में मामूर था कि सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बुद्धुखेडा मजरा बरौना में दो पक्षो में विवाद हो रहा है इस सूचना पर उ0नि0 मय पुलिस टीम के मौके पर पंहुचा जहाँ पर अमित रावत पुत्र कन्धई लाल नि0 ग्राम बुद्धुखेडा मजरा बरौना थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ नशे की हालात में शंकर पुत्र जगन्नाथ नि0 राजाखेडा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ से तेज तेज आवाज में चिल्लाते हुये वाद विवाद कर रहा है। मौके पर उ0नि0 द्वारा अमित रावत उपरोक्त को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु अमित रावत उपरोक्त किसी की बात को मानने के लिये तैयार नहीं हुआ बल्कि और अधिक उग्र आमादा फौजदारी होने लगा। मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु तत्काल अमित रावत उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार किया गया मा0 न्यायालय किया गया।

उ0नि0 महेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश संदिग्ध व्यक्ति/वाहन , जांच प्रार्थना पत्र सम्बन्ध में मामूर था कि मातृ शिशु चौराहा पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति ढेले पर खाना खाने के पैसे के लेन देन को लेकर ढेले वालो को गाली गलौज कर रहा है हम पुलिस वालो द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया तो मानने को तैयार न हुये तथा उग्र होने लगे मौके पर समझाया गया परन्तु नही माने मौके पर परिशान्ति बनाये रखने हेतु दीपक यादव पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी ग्राम रामापुर थाना कुड़ेभार जनपद सुल्तानपुर उम्र-26 वर्ष उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में मा0 न्यायालय किया गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1-अमित रावत पुत्र कन्धई लाल नि0 ग्राम बुद्धुखेडा मजरा बरौना थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र -28 वर्ष
2-दीपक यादव पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी ग्राम रामापुर थाना कुड़ेभार जनपद सुल्तानपुर उम्र-26 वर्ष

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2071

दिनांक- 26.08.2025

जोन- दक्षिणी / थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.08.25 को वारण्टी अजय सिंह रावत पुत्र बृजलाल रावत निवासी बाकन खेड़ा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष सम्बन्धित वाद सं0 112671/22 अपराध सं0 29/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ जो काफी दिनो से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न होकर काफी दिनो से फरार चल रहे थे।

जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र के आधार पर उ0नि0 श्री हिमांचल सिंह द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अजय सिंह रावत पुत्र बृजलाल रावत निवासी बाकन खेड़ा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

03-संबन्धित वाद-

1. वाद सं0 112671/22 अपराध संख्या 29/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम दक्षिणी जोन लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2074
दिनांक- 26.08.2025

जोन-पूर्वी/ थाना-विकासनगर

- **घर में घुसकर चोरी करने वाले 01 शातिर चोर/अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद सफेद धातु की कटोरी, 03 अदद पायल, 02 अदद टुकड़े पायल सफेद धातु व 3000 रुपये नकद, 01 अदद लोहे की रॉड व 01 अदद घटना में प्रयुक्त बैगनार कार संख्या UP32JN6291 बरामद।**

01-कार्यवाहीः-

दिनांक 24.08.2025 को शिकायतकर्ता श्रीमती उमा पाण्डेय पत्नी आर0डी0 पाण्डेय निवासी म0नं0 6/682 सेक्टर-6 थाना विकासनगर लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-122/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

घटना के अनावरण हेतु लगभग 127 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गयी तथा प्राप्त फुटेज एवं मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25.08.2025 को समय करीब 23.55 बजे आर्य चौराहा सेन्टर 11 विकासनगर लखनऊ से अभियुक्त आकाश त्रिपाठी उम्र 28 वर्ष पुत्र पप्पू त्रिपाठी निवासी हाल पता -01/723 विकासनगर लखनऊ व मूल निवास ग्राम तिनहरी थाना मधुबन जिला मऊ को आर्या चौराहे के पास सेक्टर 11 विकासनगर लखनऊ से घटना में प्रयुक्त चार पहिया बैगनार कार संख्या UP32JN6291 के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त आकाश त्रिपाठी के कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित 01 अदद सफेद धातु की कटोरी, 03 अदद पायल, 02 अदद टुकड़े पायल सफेद धातु व 3000 रूपये नगद, 1 अदद लोहे की राड बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने के पर्याप्त प्रमाणिक एवं ग्राह्य साक्ष्य विद्यमान पाये जाने पर अन्तर्गत धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त आकाश त्रिपाठी उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त आकाश त्रिपाठी उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत करते हुए जिला कारागार लखनऊ निरूद्ध किया गया।

02-मॉडस ऑपरेंडीः-

अभियुक्तगण द्वारा बंद मकान की रैकी करते हुए, मकान का ताला तोड़कर चोरी की गयी है।

03-अभियुक्तगण का विवरण/नाम पता-

(1) आकाश त्रिपाठी उम्र 28 वर्ष पुत्र पप्पू त्रिपाठी निवासी हाल पता -01/723 विकासनगर लखनऊ व मूल निवास ग्राम तिनहरी थाना मधुबन जिला मऊ को आर्या चौराहे के पास सेक्टर 11 विकासनगर लखनऊ

04- अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0-122/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना विकासनगर लखनऊ।

05-बरामदगी-

1. 01 अदद सफेद धातु की कटोरी।
2. 03 अदद पायल।
3. 02 अदद टुकड़े पायल सफेद धातु।
4. 3000/- रूपये नकद।
5. घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बैगनार कार संख्या UP32JN6291
6. घटना में प्रयुक्त 1 अदद लोहे की राड।

06-गिरफ्तार करने वाली थाना विकासनगर की पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भानु प्रताप सिंह, बीट प्रभारी लेखराज पन्ना,
2. उ0नि0 अर्जुन सिंह,
3. आरक्षी राम चन्द्र जी,
4. आरक्षी राघवेन्द्र,